भारत सरकार
पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकत प्रश्न सं0 **4563**
दिनांक **22** जुलाई, 2019

वाहनों हेतु स्वच्छ ईंधन

4563. श्री गौतम गंभीरः

क्या पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार देश में प्रदूषण और कार्बन-उत्सर्जन के स्तर को कम करने के लए वाहनों हेतु स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा दे रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अनुमोदित स्वच्छ ईंधन संबंधी मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध स्वच्छ ईंधन संसाधनों के संबंध में कोई दिशानिर्देश/मानदंड जारी कए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर
पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है क दिनांक 16.09.2016 की अधसूचना सं. जीएसआर 889 (ई) द्वारा उन्होंने देश भर में दिनांक 1 अप्रैल 2020 से बीएस-VI के लए व्यापक उत्सर्जन मानक अधदेशत कया है। तदनुसार, मोटर स्पिरिट (एमएस) और हाईस्पीड डीजल (एचएसडी) की ईंधन गुणवत्ता में सुधार कया गया है और सल्फर को 50 पीपीएम (बीएस-IV) से कम करके 10 पीपीएम (बीएस- VI) निर्धारित कया गया है।

(ख) और (घ) घरेलू और आयातित पेट्रोल, डीजल और संपीडत प्राकृतिक गैस (सीएनजी) सहित वाहनों में प्रयुक्त स्वच्छ ईंधन स्रोत वनियामक मानकों को पूरा कर रहे हैं।

*****